

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-२ /60567 /सीबीएसई एनओसी/2024-25

दिनांक: यथा इस्तोक्षर

TO

विद्यालय का नाम :- OASIS PUBLIC SCHOOL (P19894)

विद्यालय का वर्तमान पता :- NH-11, SIKAR ROAD, WARD NO 1,
CHOMU CITY

संस्था का नाम :- MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYAPEETH
SAMEETI

आवेदन क्रमांक :-48987

From

**निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर**

एनओसी कोड:- RJJAI33888

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.इ /सीएआईई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय **OASIS PUBLIC SCHOOL (P19894) NH-11, SIKAR ROAD, WARD NO 1, CHOMU CITY** को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अगिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था **MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYAPEETH SAMEETI** के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय **OASIS PUBLIC SCHOOL (P19894)** को शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	OASIS PUBLIC SCHOOL (P19894)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	NH-11, SIKAR ROAD, WARD NO 1, CHOMU CITY
गांव/शहर -	NAGAR PALIKA Chomu
तहसील/कस्बा -	GOVINDGARH
मान्यता कोड -	RJJAI33888
विद्यालय का पीएसपी कोड	P19894

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डॉईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डॉईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

संबंधी संस्था का नाम : CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक - प.14(8)शिक्षा-1/2009/पार्ट-8
दिनांक : 30.03.2022 चीज़ पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सब्र. माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिवल वर्ष 2024-25 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाइ जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालवाहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अध्यक्ष: पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अध्यक्ष: पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं अरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (उस केंद्रीय/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं की संचालन मान्यता प्रदान स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता भिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को भूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अंग्रेजी यंत्र स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए ऐप एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर जारी विद्या-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता क्रमोन्ति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
16. शिविर कैंलेंडर में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी शासन के पत्र दिनांक के क्रम में यदि संशर्त स्वीकृति दी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यालयी करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके पारणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेंगे।

जिला	JAIPUR	ब्लॉक	GOVINDGARH
विद्यालय का नाम	OASIS PUBLIC SCHOOL (P19894)		
संवैधता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2024-25	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Upper Primary (1-8)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Upper Primary (1-8)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled.



निदेशक

आई.ए.एस

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट : NIC विभिन्न स्कूलों / टीईओ (ग्रा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए दाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की विमेदारी अस्वीकार करता है। दाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / टीईओ(ग्रा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal .

Page 2 of 2

25/06/2024

Document certified by ASHISH MODI
<ashishmodi.kgp@gmail.com>

Digitally Signed by Ashish
Modi
Designation: Director
Date :25-06-2024 08:24:28

Manager
Oasis Public School
Chomu (Jaipur)

Principal
Oasis Public School
Chomu (Jaipur)

RajKaj Ref
8353660